भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 278
07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत तमिलनाडु में धनराशि का आवंटन

†*278. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु केंद्र सरकार का हिस्सा बढ़ाए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने 6 लाख आवासों के निर्माण के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपये का संवितरण किया है जबकि तमिलनाडु राज्य सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कुल 50,000 करोड़ रुपये के निवेश में से लगभग 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार कुल कितने आवास स्वीकृत, निर्मित और पूर्ण किए गए हैं और इनमें केंद्र सरकार के हिस्से का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

तमिलनाडु में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निधियों के आवंटन के संबंध में दिनांक 07.08.2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 278* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। यह योजना चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की गई है। भारत सरकार ने केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान किया है। डीपीआर के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों /शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और लाभार्थियों द्वारा साझा की गई है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से सहायता देने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और बड़ी संख्या में अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। अब तक, तमिलनाडु सहित 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के तहत आवासों खरीदने/बनाने के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी। केंद्र सरकार उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए राज्यों और

लाभार्थियों को योजना के तहत आवास बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान करती है।

(ख): पीएमएवाई-यू के तहत, भारत सरकार ने लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई है। राज्य का हिस्सा अनिवार्य नहीं था और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अपना हिस्सा दे सकते थे। पीएमएवाई-यू के तहत शुरुआत से लेकर 14.07.2025 तक तमिलनाडु राज्य को कुल 6,70,425 आवास इकाइयां स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 6,07,051 पूरी की जा चुकी हैं/लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु के लिए इन स्वीकृत 6,70,425 आवास इकाइयों के लिए 11,036.47 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है, जिसमें से 10,426.37 करोड़ रुपये राज्य/केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को जारी किए जा चुके हैं। तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार राज्य सहायता 12,019.19 करोड़ रुपये है ।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 14.07.2025 तक देश भर में इस मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लगभग 1.12 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 93.61 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत, अब तक विभिन्न राज्यों को लगभग 7.09 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अभी तक तमिलनाडु से पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके आवासों का राज्य-वार विवरण, साथ ही स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

दिनांक 07-08-2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 278* के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किये जा चुके आवासों के साथ-साथ स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों का विवरण (संख्या)			केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूरे किये गए	स्वीकृत	जारी की गई
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,47,297	18,26,698	10,78,686	29,722.30	23,800.26
2		बिहार	4,45,212	2,96,469	1,89,863	6,911.48	4,651.45
3		छत्तीसगढ	2,99,922	2,85,392	2,57,171	4,769.86	4,316.60
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	74.76	75.04
5		गुजरात	9,93,877	9,72,208	9,41,419	20,943.34	19,766.86
6		हरियाणा	1,30,290	90,636	70,522	2,400.48	1,723.50
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	12,640	11,381	214.18	214.66
8		झारखंड	2,43,421	2,10,640	1,59,751	3,817.28	3,215.57
9		कर्नाटक	5,84,086	5,08,586	3,94,054	9,803.91	7,379.49
10		केरल	1,61,957	1,55,162	1,34,127	2,700.71	2,499.36
11		मध्य प्रदेश	9,66,133	9,45,487	8,68,097	16,005.24	15,555.00
12		महाराष्ट्र	12,49,047	11,49,437	9,93,361	23,815.27	19,636.93
13		ओडिशा	2,15,339	1,85,963	1,64,880	3,356.36	2,611.01
14		पंजाब	1,33,270	1,18,475	97,920	2,361.36	2,092.15
15		राजस्थान	3,33,815	2,94,639	2,34,698	6,101.06	5,420.34
16		तमिलनाडु	6,70,425	6,69,514	6,07,051	11,036.47	10,426.37
17		तेलंगाना	3,61,755	2,35,023	2,23,627	6,150.73	3,906.96
18		उत्तर प्रदेश	19,75,035	17,59,770	17,02,317	30,935.86	27,933.95
19		उत्तराखंड	63,605	62,793	42,966	1,164.78	1,057.80
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	6,05,971	4,65,561	9,965.78	8,907.91
उप-योग (राज्य): -			**1,14,05,377**	**1,03,88,649**	**86,40,597**	**1,92,251.21**	**1,65,191.23**

21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,379	8,739	8,068	295.41	174.66
22		असम	1,84,991	1,69,101	1,30,425	2,914.93	2,345.51
23		मणिपुर	52,519	49,593	18,397	788.62	525.63
24		मेघालय	4,758	4,083	1,995	72.35	63.23
25		मिजोरम	39,150	39,101	26,596	600.98	502.41
26		नागालैंड	31,067	31,060	29,029	492.01	418.37
27		सिक्किम	299	299	219	5.88	7.09
28		त्रिपुरा	90,989	88,416	78,061	1,466.38	1,342.02
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य):-			**4,17,152**	**3,90,392**	**2,92,790**	**6,636.56**	**5,378.92**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान & निकोबार द्वीपसमूह	376	376	80	5.84	2.93
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	28.78	28.78
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9,947	9,947	9,450	214.40	204.56
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	692.53	692.53
33		जम्मू और कश्मीर	43,856	42,159	32,091	686.72	523.48
34		लद्दाख	1,283	991	882	29.86	25.23
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	16,442	16,050	11,377	264.18	236.69
उप-योग (यूटी): -			**1,03,136**	**1,00,755**	**85,112**	**1,922.32**	**1,714.21**
कुल योग:-			**119.26 लाख**	**112.81 लाख***	**93.61 लाख***	**2.01 लाख करोड़**	**1.72 लाख करोड़**

*इसमें पूर्ववर्ती योजना से संबंधित पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए क्रमशः 4.01 लाख और 3.41 लाख आवास शामिल हैं।